इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 336]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अगस्त 2015—श्रावण 30, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2015

क्र. 5066-265-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ५ सन् २०१५

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१५ विषय-सूची

धाराएं :

- १. संक्षिप्त नाम.
- २. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २० सन् १९५९ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.
- ३. धारा ५० का संशोधन.
- ४. धारा १५८ का संशोधन.
- ५. धारा १६२ का संशोधन.
- ६. धारा १६५ का संशोधन.
- ७. धारा १६६ का संशोधन.
- ८. धारा १७२ का संशोधन.
- ९. धारा २४७ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ५ सन् २०१५

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१५

[''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक २१ अगस्त, २०१५ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यतः, राज्य के विधान-मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद•२१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१५ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २० सन् १९५९ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

- २. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालाविध के दौरान मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा ३ से ९ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगी.
- धारा ५० का संशोधन.
- ३. मूल अधिनियम की धारा ५० में,—
 - (एक) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-
 - ''(१) मण्डल, किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन दिए जाने पर या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बन्दोबस्त अधिकारी किसी भी समय स्वप्रेरणा से, किसी ऐसे मामले का, जो विनिश्चित किया जा चुका हो या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों का, जिनमें उसके या उनके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जा चुका हो और जिसमें उनको कोई अपील न होती हो, अभिलेख मंगा सकेगां और यदि यह प्रतीत होता हो कि ऐसे अधीनस्थ राजस्व अधिकारी,—
 - (क) ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो इस संहिता द्वारा उसमें निहित न की गई हो, या
 - (ख) इस प्रकार निहित की गई अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है, या
 - (ग) ने अपनी अधिकारिता का अविधिपूर्ण या सारवान अनियमितता के साथ प्रयोग किया है,
 - तो, यथास्थिति, मण्डल या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी, मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह उचित समझे:
 - परन्तु मण्डल या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी, इस धारा के अधीन, किए गए किसी आदेश में या कार्यवाही के अनुक्रम में किसी विवाद्यक का विनिश्चय, करने वाले किसी आदेश में फेरफार नहीं करेगा या उसे नहीं उलटेगा, सिवाय जहां कि—

- (क) ऐसा आदेश, यदि वह मण्डल को पुनरीक्षण का आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया हो, कार्यवाहियों का अंतिम रूप से निपटारा करता हो, या
- (ख) ऐसा आदेश, यदि वह प्रवृत्त बना रहता है, तो न्याय की विफलता या उस पक्षकार को, जिसके विरुद्ध यह किया गया था, अपूरणीय क्षति कारित करेगा.";
- (दो) उपधारा (२) तथा (३) में शब्द ''या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द ''या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी'' स्थापित किए जाएं; तथा
- (तीन) उपधारा (६) के स्थान पर, निम्नलिखित उप धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—
 - ''(६) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, भी—
 - (एक) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी ऐसे मामले के संबंध में कार्यवाहियां मण्डल द्वारा प्रारंभ की गई हों, वहां आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा उसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी;
 - (दो) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी ऐसे मामले के संबंध में कार्यवाहियां आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त द्वारा प्रारंभ की गई हों, वहां कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा उसके सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी;
 - (तीन) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी ऐसे मामले के संबंध में कार्यवाहियां आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा प्रारंभ की गई हों तो मण्डल, यथास्थिति, आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम निपटारे तक ऐसे मामले के संबंध में इस धारा के अधीन या तो कोई कार्रवाई करने से विरत रह सकेगा या ऐसी कार्यवाहियों को वापस ले सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे;
 - (चार) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी ऐसे मामले के संबंध में कार्यवाहियां कलक्टर अथवा बंदोबस्त अधिकारी द्वारा प्रारंभ की गई हों तो मण्डल या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त, यथास्थिति, कलक्टर अथवा बंदोबस्त अधिकारी द्वारा ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम निपटारे तक, ऐसे मामले के संबंध में इस धारा के अधीन या तो कोई कार्रवाई करने से विरत रह सकेगा अथवा ऐसी कार्यवाहियों को वापस ले सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे.''.
- ४. मूल अधिनियम की धारा १५८ में, उपधारा (३) में,—

(एक) विद्यमान परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:--

धारा १५८ का संशोधन.

- ''परन्तु कोई ऐसा व्यक्ति पट्टे अथवा आबंटन की तारीख से दस वर्ष की कालाविध के भीतर ऐसी भूमि को अंतरित नहीं करेगा, और ''अहस्तांतरणीय भूमि'' के रूप में इस आशय की प्रविष्टि अधिकार अभिलेख तथा भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका में की जाएगी.'';
- (दो) इस प्रकार स्थापित परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाए, अर्थात् :—
 - ''स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए, ''अहस्तांतरणीय भूमि'' से अभिप्रेत है, धारा १५८ की उपधारा (३) के अधीन भूमि स्वामी अधिकारों में धारित भूमि.''

धारा १६२ का ५. मूल अधिनियम की धारा १६२ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, संशोधन. अर्थात् :—

"(१) धारा २४८ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे क्षेत्रों में, जो कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं, राज्य सरकार की किसी भूमि का जो कि अनिधकृत कब्जे में हो, कलक्टर द्वारा उस सीमा तक तथा ऐसी राशि का भुगतान कर दिए जाने पर, जैसी कि विहित की जाए, कृषिक प्रयोजनों के लिये भूमिस्वामी अधिकारों में और अकृषिक प्रयोजनों के लिए सरकारी पट्टेधारी हक में व्ययन किया जा सकेगा.".

धारा १६५ का ६. मूल अधिनियम की धारा १६५ में, उपधारा (७-ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की संशोधन. जाए, अर्थात् :—

- ''(७-ख) इस धारा के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए यदि कोई व्यक्ति, जो धारा १५८ की उपधारा (३) के अधीन भूमिस्वामी अधिकारों में भूमि धारण करता हो, आबंटन की तारीख से दस वर्ष के पश्चात् , ऐसी भूमि को अंतरित करने की वांछा करता है, तो उपखण्ड अधिकारी को अधिकार अभिलेख तथा भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका में ''अहस्तांतरणीय'' के रूप में अभिलिखित प्रविष्टि को हटाने के लिए आवेदन कर सकेगा और उपखण्ड अधिकारी, आवेदक को ऐसी भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के दस प्रतिशत के समतुल्य राशि का भुगतान सरकारी कोषालय में करने का निदेश देगा और ऐसा भुगतान कर दिये जाने के पश्चात्, उपखण्ड अधिकारी ऐसी प्रविष्टि को हटाने के लिये आदेश पारित करेगा.
- (७-ग) इस धारा के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए यदि किसी व्यक्ति द्वारा, जो धारा १५८ की उपधारा (३) के अधीन भूमिस्वामी अधिकारों में भूमि धारण करता है, आबंटन की तारीख से दस वर्ष के पश्चात् ऐसी भूमि कलक्टर की पूर्व अनुज्ञा के बिना अंतरित कर दी गई है और ऐसी भूमि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१५ के प्रारंभ होने की तारीख तक समपहत नहीं की गई है, या रामपहत की गई है किन्तु उपयोग नहीं की गई है वो ऐसी भूमि, शासकीय कोषालय को भुगतान किए जाने की तारीख तक—
 - (क) यदि भूमि का ऐसा अंतरण वर्ष २०००-२००१ या उसके पूर्व का है तो वित्तीय वर्ष २०००-२००१ के बाजार मूल्य की दस प्रतिशत के समतुल्य राशि और ऐसी राशि पर १ अप्रैल, २००० से नौ प्रतिशत साधारण ब्याज; अथवा
 - (ख) यदि भूमि का ऐसा अंतरण वर्ष २०००-२००१ के पश्चात् किया गया है तो अंतरण की तारीख को ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के दस प्रतिशत के समतुल्य राशि और ऐसी राशि पर ऐसे अंतरण की तारीख से नौ प्रतिशत साधारण ब्याज के, भुगतान के दायित्वाधीन होगी.
 - स्पष्टीकरण.—यदि धारा १५८ की उपधारा (३) के अधीन किसी भूमि स्वामी की कोई भूमि अंतरित की जाती है और जिस पर उपधारा (७-ख) और (७-ग) के अधीन अपेक्षित भुगतान कर दिया जाता है तो ऐसी भूमि किसी पश्चात्वर्ती अंतरण के लिए ऐसा भुगतान पुन: करने के दायित्वाधीन नहीं होगी.''.

धारा १६६ का ७. मूल अधिनियम की धारा १६६ में, उपधारा (३) में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक ''तथा (२)'' का लोप संशोधन. किया जाए. ८. मूल अधिनियम की धारा १७२ में,-

धारा १७२ का संशोधन.

- (एक) उपधारा (४) में, शब्द ''ऐसी व्यपवर्तित भूमि के बाजार मूल्य के बीस प्रतिशत से अनिधक'' के स्थान पर, शब्द ''ऐसी व्यपवर्तित भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर'' स्थापित किए जाएं:
- (दो) उपधारा (५) में, शब्द ''ऐसी व्यपवर्तित भूमि के बाजार मूल्य के बीस प्रतिशत से अनिधक'' के स्थान पर, शब्द ''ऐसी अव्यपवर्तित भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के एक प्रतिशत से अनिधक'' स्थापित किए जाएं.

९. मूल अधिनियम की धारा २४७ में, उपधारा (४) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''भूमि अर्जन अधिनियम, **धारा २४७ क**ा १८९४ (१८९४ का १)'' के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में संशोधन. उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ (२०१३ का ३०) स्थापित किए जाएं.

भोपाल :

राम नरेश यादव

राज्यपाल

दिनांक : १९ अगस्त, सन् २०१५.

मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2015

क्र. 5067-265-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक 5 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 5 of 2015.

THE MADHYA PRADESH LAND REVENUE CODE (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE, 2015

TABLE OF CONTENTS

Sections:

- 1. Short title.
- 2. Madhya Pradesh Act No. 20 of 1959 to be temporarily amended.
- 3. Amendment of Section 50.
- 4. Amendment of Section 158.
- 5. Amendment of Section 162.
- 6. Amendment of Section 165.
- 7. Amendment of Section 166.
- 8. Amendment of Section 172.
- 9. Amendment of Section 247.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 5 of 2015.

THE MADHYA PRADESH LAND REVENUE CODE (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE, 2015

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 21st August, 2015.]

Promulgated by the Governor in the sixty-sixth year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title.

1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Second Amendment) Ordinance, 2015.

Madhya Pradesh Act No. 20 of 1959 to be temporarily amended. 2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendment specified in Section 3 to 9.

Amendment of Section 50.

- 3. In section 50 of the principal Act,—
 - (i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—
 - "(1) The Board may, at any time on its motion or on an application made by any party or the Commissioner or the Settlement Commissioner or the Collector or the Settlement Officer may, at any time on his own motion, call for the record of any case which has been decided or proceedings is which an order has been passed by any Revenue Officer

subordinate to it or him and in which no appeal lies thereto, and if it appears that such subordinate Revenue Office,—

- (a) has exercised a jurisdiction not vested in him by this code, or
- (b) has failed to exercise a jurisdiction so vested, or
- (c) has acted in the exercise of his jurisdiction illegally or with material irregularity,
- the Board or the Commissioner or the Settlement Commissioner or the Collector or the Settlement Officer, as the case may be, make such order in the case as it or he thinks fit:
- Provided that the Board or the Commissioner or the Settlement Commissioner or the Collector or the Settlement Officers hall not, under this section, vary or reverse any order made, or any order deciding an issue, in the course of the proceeding, except where—
 - (a) the order, if it had been made in favour of the party applying for revision to the Board, would have finally disposed of the proceedings, or
 - (b) the order, if allowed to stand, would occasion a failure of justice or cause irreparable injury to the party against whom it was made.";

- (ii) in sub-sections (2) and (3), for the words "or the Collector or the Settlement Officer" wherever they occur, the words "or the Commissioner or the Settlement Commissioner or the Collector or the Settlement Officer" shall be substituted; and
- (iii) for sub-section (6), the following sub-section shall be substituted, namely:—
 - "(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (1),—
 - (i) where proceedings in respect of any case have been commenced by the Board under sub-section (1), no action shall be taken by the Commissioner or the Settlement Commissioner or the Collector or the Settlement Officer in respect thereof;
 - (ii) where proceedings in respect of any such case have been commenced by the Commissioner or the Settlement Commissioner under sub-section (1), no action shall be taken by the Collector or the Settlement Officer in respect thereof;
 - (iii) where proceedings in respect of any such case have been commenced by the Commissioner or the Settlement Commissioner or the Collector or the Settlement Officer under sub-section (1), the Board may either refrain from taking any action under this section in respect of such case until the final disposal of such proceedings by the Commissioner or the Settlement Commissioner or the Collector or the Settlement Officer, as the case may be, or may withdraw such proceedings and pass such order as it may deem fit;
 - (iv) where proceedings in respect of any such case have been commenced by the Collector or the settlement Officer under sub-section (1), the Board or the Commissioner or the Settlement Commissioner may either refrain from taking any action under this section in respect of such case until the final disposal of such proceedings by the Collector or the Settlement Officer, as the case may be, or may withdraw such proceedings and pass such order as it may deem fit."
- 4. In Section 158 of the principal Act, in sub-section (3),—

Amendment of Section 158.

- (i) for existing proviso, the following proviso shall be substituted namely:—
 - "Provided that no such person shall transfer such land within a period of ten years from the date of lease or allotment, and entry to this effect as 'non-transferable land' shall be made in the record of rights and Bhoo Adhikar avam Rin Pustika.";
- (ii) after the proviso as so substituted, the following explanation shall be added, namely:—
 - "Explanation.—For the purpose of this section, 'non-transferable land' means the land held in bhumiswami rights under sub-section (3) of Section 158."
- 5. In Section 162 of the principal Act, for sub-Section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

Amendment of Section 162.

"(1) Notwithstanding anything contained in Section 248 and subject to rules made in this behalf, any land belonging to the State Government in such areas as notified in the official Gazette by the State Government, which is in unauthorized possession, may be disposed of for agricultural purposes in Bhumiswami rights and non-agricultural purposes, in Government lessee rights by the Collector to such extent and on payment of such amount as may be prescribed."

Amendment of Section 165.

- 6. In Section 165 of the principal Act, for sub-section (7-b), the following sub-section shall be substituted, namely:—
 - "(7-b) Subject to the other provisions of this section, if a person who holds land in Bhumiswami rights under sub-section (3) of Section 158, desires to transfer such land, after ten years from the date of allotment, may apply for removing the entry recorded as 'non-transferable' in record of rights and bhoo Adhikar Avam Rin Pustika, to the Sub-Divisional Officer and the Sub-Divisional Officer shall direct to the applicant for payment of amount equivalent to ten percent of current market value of such land to the Government treasury and after making of such payment, the sub-Divisioal officer shall pass an order for removing such entry.
 - (7-c) Subject to the other provisions of this section, if a person who held land in Bhumiswami rights under sub-section (3) of Section 158, and transferred such land after ten years from the date of allotment without prior permission of the Collector and such land is not forfeited or forfeited but not used or allotted to anyone, till the date of the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2015, it shall be liable to the payment of—
 - (a) amount equivalent to ten percent of market value of financial year 2000-2001 and nine percent simple interest on such amount from 1st April, 2000, if such transfer of land is of the year of 2000-2001 or prior to that; or
 - (b) amount equivalent to ten percent of market value of such land on the date of transfer and nine percent simple interest on such amount from the date of such transfer, if such transfer of land is madeafter the financial year 2000-2001, till the date of payment;

to the government treasury.

Explanation.—Any land of a Bhumiswami under sub-section (3) of Section 158 is transferred and payment required under sub-section (7-b) or sub-section (7-c) has been paid, such land shall not be liable for such payment again for any subsequent transfer.".

Amendment of Section 166.

7. In Section 166 of the principal Act, in sub-section (3), the word, bracket and figure "and (2)" shall be omitted.

Amendment of Section 172.

- 8. In section 172 of the principal Act,—
 - (i) in sub-section (4), for the words "not exceeding twenty per centum of the market value of such diverted land", the woords "amounting to two per centum of the current market value of such diverted land" shall be substituted;
 - (ii) in sub-section (5), for the words "not exceeding twenty per centum of the market value of such diverted land", the words "not exceeding one per centum of the current market value of such un-diverted land" shall be substituted.

Amendment of Section 247.

9. In section 247 of the principal Act, in sub-section (4), for the words, figures and bracket "the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894)", the words, figures and bracket "the Right to Fair Compensation and Transparency in land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013)" shall be substituted.

Bhopal:

Dated the 19th August 2015

RAM NARESH YADAV Governor Madhya Pradesh.